जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ   **दिनांक - 27.03.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा खनन संबंधी रॉयल्टी रसीद को धोखाधडी पूर्वक प्रयोग कर डम्फर से रेत का परिवहन करने वाले अभियुक्त को डम्फर सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में वादी श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम अमीरपुर गांगू थाना व तहसील बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर देकर अवगत कराया कि वह तहसील धामपुर में संग्रह अमीन पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 26.03.2024 को उसकी ड्यूटी थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत भूतपुरी तिराहे बैरियर पर अफजलगढ पुलिस टीम के साथ खनन की गाडियों के चेकिंग हेतु लगी थी। चेकिंग के दौरान रेत से भरे डम्फर रजिस्ट्रेशन नम्बर HR58B-1488 को चेक किया गया तो गाडी के चालक शमशाद पुत्र अफसर निवासी उमर सैंडा पिहानी देहात थाना हरियावा जनपद हरदोई एवं परिचालक इंतजार अहमद पुत्र मुन्ने अहमद निवासी रेहटा विलोट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के द्वारा भरे माल की रॉयल्टी की रसीद दिखाई गयी। रसीद को चेक किया गया तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त डम्फर प्रातः 06.05 बजे जटपुरा बैरियर से निकाला था। चालक व परिचालक द्वारा टैक्स से बचने के उद्देश्य से पूर्व में उपयोग की गई रॉयल्टी की रसीद को धोखाधडी के प्रयोजन से बेईमानी से असली पर्ची के रुप में प्रयोग कर डम्फर को निकालने का प्रयास किया गया है।

इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 100/24 धारा 420 भादवि बनाम शमशाद व इंतजार अहमद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता -

1. शमशाद पुत्र अफसर निवासी उमरसैडा पिहानी देहात थाना हरियावा जनपद हरदोई।
2. इंतजार अहमद पुत्र मुन्ने अहमद निवासी रेहटा विलोच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदी का विवरण -

1.एक डम्फर रजिट्रेशन नं0 HR58B-1488
2. रॉयल्टी रसीद संख्या ISTP NO 9644202301410501890

टीम का विवरण –

1.श्री योगेश कुमार संग्रह अमीन तहसील धामपुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2587 भूदेव थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ़ **दिनांक- 27.03.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मु0अ0सं0 101/2024 धारा 308/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.03.2024 को वादिनी विधाता देवी पत्नी स्व0 ठाकुर सिंह निवासी ग्राम मीरापुर उत्तर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि वादिनी के पुत्र सुनील बिष्ट पुत्र स्व0 ठाकुर सिंह निवासी ग्राम मीरापुर उत्तर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ गाली गलौच की तथा गाली देने से मना करने पर पास मे रखी फन्टी को वादिनी के सिर मे मार दी, जिससे वह बेहोस हो गई । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 101/2024 धारा 308/504 भादवि बनाम सुनील बिष्ट उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुनील बिष्ट पुत्र स्व0 ठाकुर सिंह निवासी ग्राम मीरापुर उत्तर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 01 फन्टी सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

सुनील बिष्ट पुत्र स्व0 ठाकुर सिंह निवासी ग्राम मीरापुर उत्तर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

घटना मे प्रयुक्त 01 फन्टी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2. हे0का0 430 कलीम हसन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 27.03.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त सितिन राठी पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम राजदेव नगली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 262/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

सितिन राठी पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम राजदेव नगली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 850 नीरज कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 1753 गुलाब सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 27.03.2024**

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 93/2024 धारा 147/323/307/354/452 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.03.2024 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि दिनांक 25.03.2024 को अभियुक्तगण 1.विकास पुत्र सुशील निवासी ग्राम मलकपुर सहसू थाना नगीना जनपद बिजनौर व 2.राजकुमार पुत्र अशोक निवासी जटपुरा भोन्टा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड की गयी तथा रात के समय करीब 10.30 बजे अभियुक्त विकास एवं राजकुमार ने अपने 05 – 06 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर वादी के साथ जान से मारने की नियत से लाठी डन्डे व धारदार हथियार से मारपीट की गयी तथा वादी को बचाने आये वादी के भतीजे पुनीत पर हमला किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 93/2024 धारा 147/323/307/354/452 भादवि बनाम विकास आदि उपरोक्त कुल 02 नफर व अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र अशोक निवासी जटपुरा भोन्टा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजकुमार पुत्र अशोक निवासी जटपुरा भोन्टा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
2.कां0 2519 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
3.कां0 2447 जितेन्द्र कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 27.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	स्योहारा	जवर सिंह पुत्र वंसीलाल नि0 ग्राम झिल्ला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2	स्योहारा	वीरेन्द्र कुमार पुत्र हरपाल नि0 ग्राम झिल्ला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3	स्योहारा	रजनीश कुमार पुत्र शेर सिंह नि0 ग्राम झिल्ला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4	स्योहारा	रमेश पुत्र रामस्वरूप नि0 ग्राम झिल्ला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5	स्योहारा	विक्रम सिंह पुत्र उमराव सिंह नि0 ग्राम झिल्ला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6	स्योहारा	गोविन्द सिंह पुत्र हरस्वरूप नि0 ग्राम झिल्ला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7	को0 शहर	दिलशाद पुत्र रफीक अहमद नि0 ग्राम जन्धरपुर थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
8	को0 शहर	रणजीत सिंह पुत्र राम सिंह नि0 ग्राम गजरौला शिव थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा

थाना को0 शहर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना स्योहारा दिनॉक 27.03.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ कालू पुत्र महेश सिंह नि0 ग्राम बहादरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 122/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.रोहित कुमार उर्फ कालू पुत्र महेश सिंह नि0 ग्राम बहादपुर सत्तोनगंली थाना स्योहारा बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर

2–03 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2–हे0का0 707 शकील अहमद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 27.03.2024**

थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/2024 धारा 452/504/323/307/504/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.03.2024 को वादिनी मुन्नी देवी पत्नी पप्पू सिंह निवासी मौहल्ला धर्मशाला कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.दीपक पुत्र लालू सिह 2.गोलू पुत्र लालू सिह 3.लालू सिह पुत्र सुलड़ सिंह समस्त निवासीगण मौहल्ला बागवान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ गाली गलौच तथा मारपीट की व वादिनी को बचाने आए पड़ोसी प्रेम पुत्र ओमप्रकाश के सिर पर लोहे के रोड़ से वार किया , जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 452/504/323/307/504/34 भादवि बनाम दीपक,गोलू व लालू उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/2024 धारा 452/504/323/307/504/34 भादवि में वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र लालू सिंह नि0 मौ0 बागवान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दीपक पुत्र लालू सिंह नि0 मौ0 बागवान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 797 सचिन मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना किरतपुर दिनॉक 27.03.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/24 धारा 379 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी गयी मोटरसाईकिल व अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.03.2024 को वादी श्री रोबिन कुमार पुत्र श्री सतीश चन्द ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की मोटरसाईकिल सूपर स्पलेण्डर (यूपी 13 बीवाई 1113) चोरी कर ली गयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 129/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.प्रयास चौधरी उर्फ चीकू पुत्र योगेन्द्र निवासी फजलपुर खास थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2.चन्द्रकान्त उर्फ चिन्टू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.03.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 129/24 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.प्रयास चौधरी उर्फ चीकू पुत्र योगेन्द्र निवासी फजलपुर खास थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2.चन्द्रकान्त उर्फ चिन्टू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को चोरी गयी मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त मोटरसाईकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा रखी थी। अभियुक्तगण के कब्जे से 01–01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये। उपरोक्त अभियोग में मोटरसाईकिल बरामदगी, फर्जी नम्बर प्लेट व अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर धारा 411/465 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.प्रयास चौधरी उर्फ चीकू पुत्र योगेन्द्र निवासी फजलपुर खास थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.चन्द्रकान्त उर्फ चिन्टू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1.चोरी गयी मोटरसाईकिल (यूपी 13 बीवाई 1113)
2.02 अवैध तमंचे 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2–हे0का0 547 शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3–हे0का0 443 कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनाँक – 27.03.2024**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 118/24 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त को चोरी की गयी बैट्री व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया तथा साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.03.2024 को वादी श्री मनव्वर पुत्र जाहिद हसन निवासी ग्राम सहसपुर देहात थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 24.03.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा घर के बाहर खडे वादी के टेम्पो से बैटरी चोरी कर ली है। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 118/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अफनान पुत्र दिलशाद उर्फ राजू निवासी नयी सराय निकट J.S जूनियर हाईस्कूल थाना धामपुर जनपद बिजनौर व एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अफनान पुत्र दिलशाद उर्फ राजू निवासी नयी सराय निकट J.S जूनियर हाईस्कूल थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी बैट्री (एक्साईड पावरसेफ प्लस रंग काला) व एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया एवं साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार / पुलिस अभिरक्षा मे लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता –

1.अफनान पुत्र दिलशाद उर्फ राजू निवासी नयी सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.एक बाल अपचारी

बरामदगी –

1.एक बैट्री एक्साईड पावरसेफ प्लस रंग काला

2.एक अवैध चाकू नाजायज

गिरफ्तार / पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश गंगवार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 595 प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.कां0 2075 शिवम देशवाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 27.03.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 120/24 धारा 147/148/452/307/323/504/506/34 भादवि में वांछित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.03.2024 को वादी श्री पकंज कुमार पुत्र रामफल सिंह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर की अभियुक्तगण 1.महाबीर पुत्र लखपत सिंह 2.उदयराज पुत्र राम सिंह 3.जयबीर पुत्र लखपत 4.कलवा पुत्र छोटिया सिंह निवासीगण ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर मे घुस कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से वादी व वादी के परिजनो के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 120/24 धारा 452/307/323/504/506 भादवि बनाम महाबीर आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 1.ओमकार पुत्र राम सिंह 2.रविन्द्र पुत्र विजेन्द्र निवासीगण खाकू नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 147/148/34 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 120/24 धारा 147/148/452/307/323/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.महाबीर पुत्र लखपत सिंह 2.उदयराज पुत्र राम सिंह 3.जयबीर पुत्र लखपत 4.कलवा पुत्र छोटिया सिंह 5.ओमकार पुत्र राम सिंह समस्त निवासीगण ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.महाबीर पुत्र लखपत सिह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.उदयराज पुत्र राम सिह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.जयबीर पुत्र लखपत निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4.कलवा पुत्र छोटिया सिह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5.ओमकार पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.हे0का0 534 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.का0 332 छोटेलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4.का0 1746 देवीदास थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5.का0 2503 रवि सिमर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6.का0 2497 नितिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद   दिनॉक 27.03.2024

थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत सडक दुर्घटना में चार व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो जाने व स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 27.03.2024 को मेहरचन्द (उम्र करीब 55 वर्ष) पुत्र काशीराम निवासी ग्राम सरकडा थाना बछरायुं जनपद अमरोहा अपने दो पुत्रों प्रवेन्द्र (उम्र करीब 35 वर्ष) व रतन सिंह (उम्र करीब 30 वर्ष) तथा साले देवेन्द्र (उम्र करीब 58 वर्ष) निवासी ग्राम फोन्दापुर गजरौला जनपद अमरोहा के साथ गाडी रजि0 नं0 यूपी 16बीएच7586 में सवार होकर जा रहे थे की थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत नजीबाबाद–कोतवाली देहात रोड पर ग्राम गुनियापुर के पास इनकी गाडी अनिंयत्रित होकर पलट गई जिससे गाडी में सवार सभी चारों व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई।

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शवो को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भिजवाया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।